दुष्कर्मी को 20 साल की सजा सुनाई

अजमेर, (कासं)। वर्ष 2019 में स्कूल से एक नाबालिग को होटल ले जाकर दुराचार करने के आरोपी को गुरुवार को अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने बीस साल की सजा और एक लाख 11 हजार रुपए का आर्थिक दंड की सजा दर्डिंत किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्रपॉल सिंह ने बताया कि आशा गंज निवासी आरोपी पवन शर्मा एक नाबालिग छात्रा को स्कूल से गत 27 जुलाई 2019 को बहला फुसला कर ले गया और दरगाह क्षेत्र की होटल में उसके साथ दुराचार करने के बाद आरोपी ने नाबालिग को वापस चौपाटी पर छोड कर चला गया। नाबालिग ने अपनी पीडा घर वालों को बताई।

पीडिता के परिजन ने क्लॉक टावर थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, 28 जुलाई को पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई के दौरान 25 गवाह व 48 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जिस पर गुरुवार को न्यायाधीश ने आरोपी को 2० साल के कठोर कारावास व एक लाख 11 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि जिस प्रकार देश में नाबालिग के साथ घटनाएं बढ रही है, ऐसे में आरोपी के साथ किसी भी प्रकार की दया का रूप अपनाना उचित नहीं है।

नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल:- नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ग्राम सनोद निवासी शंकर पुत्र किशनलाल जाट को गुरुवार को अजमेर न्यायालय में पेश किया।

शिक्षक ने मासूम को पीटा, अभिभावकों ने किया हंगामा

अजमेर, (कासं)। गुलाब बाडी स्थित ईस्ट प्वाइंट सीनियर सैकंडरी स्कूल में अध्यापक द्वारा एलकेजी के एक बच्चे के साथ मारपीट करने के बाद गुरुवार को अभिभावक और शिक्षकों के बीच विवाद बढ गया। सूचना पर अलवर गेट थाना पुलिस को मौके पर पहुंची। पुलिस के दखल पर स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल के डिप्टी डायरेक्टर और पीटीआई द्वारा माफी मांगने के बाद

- **प्रिंसिपल, उप निदेश और पीटीआई द्वारा माफी मांगने के बाद मामला शांत हुआ**

मामला शांत हुआ, दोनों पक्षों के राजीनामा कर लेने के बाद पुलिस भी लौट गई।

स्कूल प्रशासन के खिलाफ बच्चे के अभिभावकों ने विरोध जताया।

गुलाब बाडी निवासी डॉ.हेमलता ने बताया कि उनका पुत्र मितांश जादम ईस्ट प्वाइंट स्कूल में पढ ता है। मां ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल की स्पोर्ट्स लेडी शिक्षिका सुमन गहलोत द्वारा बच्चे के साथ बॉल को लेकर जिद करने पर मारपीट की गई, जिसके बाद बच्चे की शिकायत पर वे स्कूल पहुंची और मामले की जानकारी चाही तो उनके साथ भी अभद्रता की गई। सूचना पर अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो पीटीआई सुमन गहलोत ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी, साथ ही प्रिंसिपल और डिप्टी डायरेक्टर ने भी मामले को सुलझाने में सहयोग दिया। वहीं प्रिंसिपल विनीता चौहान ने बताया कि बच्चे के साथ अनुशासन को लेकर बातचीत हुई थी, जिसमें बच्चे ने अभद्रता की शिक्षक ने कोई मारपीट नहीं की फिर भी मामले को तूल दिया गया, इसके बाद भी स्कूल प्रशासन, पीटीआई और शिक्षकों ने सॉरी बोला है। मामले को यहीं पर खत्म कर दिया गया। पीटीआई सुमन गहलोत ने बताया कि बच्चे मीतांश के परिजनों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, वह निराधार है। बच्चे की गलती थी जिसने अनुशासन तोडने पर समझाया गया था, जिसके बाद बच्चे ने घर जाकर शिकायत कर दी और परिजन यहां पर लडने के लिए आ गए, फिर भी उनके द्वारा माफी मांग कर मामले को खत्म कर दिया गया है।

वहीं स्पोर्ट्स शिक्षिका सुमन गहलोत ने कहा कि उन्होंने बच्चे पर किसी तरह का हाथ नहीं उठाया है। बच्चे से उन्होंने सिर्फ किसी अन्य कारणों के चलते प्यार से बात की थी लेकिन बच्चे ने अपनी मम्मी से मुझे डांट पिटवाने के लिए कहता रहा। अलवर गेट थाने के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जावेद ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि ईस्ट पॉइंट स्कूल पर परिजनों और शिक्षकों के बीच कोई विवाद हुआ है, जिसे लेकर वहां मौके पहुंचे हैं। आखिर दोनों पक्षों के बीच समझाइश कर मामले को राजीनामे के साथ निपटा दिया गया है, कोई भी पक्ष किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता।

रिक्त सीटों पर ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू

भीलवाडा, (निसं)। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भीलवाडा में 14 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यार्थियों/महिला एवं पुरूष दोनो के लिये प्रवेश सत्र 2021-22 हेतु रिक्त रही सीटो पर ऑफलाईन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के उपाचार्य फेजल खान के बताया कि मैकेनिक ट्रेक्टर, प्लम्बर, वेल्डर, वायरमेन, स्वीईंग टेक्नॉलोजी उपरोक्त युनिटो में आंवटित सीटो पर अभ्यार्थी राजस्थान सरकार के एकीकृत पॉर्टल /ई मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन भरकर इस संस्थान में हॉर्ड कॉपी जमा करानी होगी। ऑनलाईन आवेदन फॉर्म दिनांक 28 नवबर .2021 तक भरकर एवं हॉर्ड कॉपी संस्थान में जमा करवाने की अन्तिम दिनांक 29 नवंबर .2021 को सायं 02.00 बजे तक है। प्रवेश दिनांक 30.11.2021 को प्रात: 10.00 बजे से संस्थान स्तर पर होंगे। प्रवेश हेतु अभ्यार्थियों का अवलोकन कर उपलब्ध व्यवसाय, योजना व प्रवेश स्थानो व संस्थान द्वारा ली जाने वाले फीस इत्यादि की नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते है।

राज्य सरकार के आदेशानुसार राजकीय आईटीआई में महिलाओ से प्रशिक्षण शुल्क नही लिया जायेगा। अभ्यार्थी को अपने निकटतम ई मित्र पर जाकर ऑनलाईन फॉर्म भरकर हॉर्ड कॉपी इस संस्थान में जमा करानी है। रिक्त सीटो की जानकारी हेतु संस्थान के नोटिस बोर्ड का अवलोकन करें।

अन्नकूट महोत्सव 28 को

अजमेर, (कासं)। श्री संकट मोचन बालाजी मन्दिर परबतपुरा बाईपास अर्जुनलाल सेठी नगर ब्यावर रोड मन्दिर परिसर में संगीतमय सुन्दरकांड का पाठ और अन्नकूट महोत्सव 28 नवम्बर का प्रात: 11 बजे से आयोजित होगा।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
आम सूचना

श्री सुरेश हरचन्दानी पुत्र श्री महादेव मल ने आवास संख्या 241 (ई.डब्ल्यू.एस.) ज्वाला प्रसाद नगर सेक्टर प्रथम की लीज डीड हेतु आवेदन किया है।

मूल आवंटी श्री तीर्थदास पुत्र श्री मूलचन्द की मृत्यु दिनांक 05.10.1991 को हो चुकी है। उनकी पत्नी श्रीमती परमेश्वरी ने वारिसान की हैसियत से उक्त आवास अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 21.10.1991 को जयवन्ती पत्नि श्री भगवानदास को विक्रय कर दिया। जयवन्ती पत्नि श्री भगवानदास ने उक्त आवास अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 24.10.1999 को श्री महादेव मल पुत्र श्री नेनूमलजी को विक्रय कर दिया। श्री महादेव मल पुत्र श्री नेनूमलजी ने उक्त आवास अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 23.11.2021 को श्री सुरेश हरचन्दानी पुत्र श्री महादेव मल को विक्रय कर दिया।

अत: पश्चातवर्ती क्रेता को हस्तान्तरण पर अंतिम क्रेता के नाम सीधे ही पंजीयन के सम्बन्ध में वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के क्रम में एवम राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं. 3 (1201) नविवि/3/2012 दिनांक 24.03.2021 की अनुपालना में उक्त आवास संख्या 241 (ई.डब्ल्यू.एस.) ज्वाला प्रसाद नगर सेक्टर प्रथम श्री सुरेश हरचन्दानी पुत्र श्री महादेव मल के नाम लीज डीड जारी किये जाने से किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में मय दस्तावेजों के शपथ पत्र सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। अवधि समाप्ति के पश्चात कोई भी उजर दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं उक्त आवास संख्या 241 (ई.डब्ल्यू.एस.) ज्वाला प्रसाद नगर सेक्टर प्रथम योजना श्री सुरेश हरचन्दानी पुत्र श्री महादेव मल नाम परिवर्तन कर लीज डीड जारी कर दी जावेगी।

योजना प्रभारी अधिकारी, अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)
क्रमांक:तामीरात/414 दिनांक: 25.11.2021
उजरदारी नोटिस

श्री नोरती देवी पति श्री हेमराज जीनगर निवासी गुलाबपुरा वार्ड नम्बर नाड़ी मौहल्ला, भू.सं. 10, माप 21X49, खसरा सं. 913 द्वारा पालिका कार्यालय में भवन निर्माण स्वीकृति हेतु/भूखण्ड हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अत: इस सूचना पत्र के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रसारित की जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त भवन निर्माण स्वीकृति/भू-खण्ड हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो लिखित रूप में मय दस्तावेजी प्रमाणों को संलग्न करते हुए 07 दिन की अवधि में प्रस्तुत कर दें। उक्त अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
पत्रावली एवं दस्तावेजों का निरीक्षण कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के समय देखा जा सकता है।
पड़ौस विवरण :-
पूर्व :- रोड़ 30" फीट — पश्चिम:- प्लॉट संख्या-05
उत्तर :- प्लॉट सं. 08 व 09 — दक्षिण:- प्लॉट संख्या-11
अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, गुलाबपुरा

कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)
क्रमांक:तामीरात/412 दिनांक: 25.11.2021
उजरदारी नोटिस

श्री कल्याण मल लक्षकार पिता श्री ओंकार लाल लक्षकार निवासी गुलाबपुरा वार्ड नम्बर भू.सं. 1-A-11, माप 30X64 शिवचरण माथुर कॉलोनी द्वारा पालिका कार्यालय में भवन निर्माण स्वीकृति हेतु/भूखण्ड हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अत: इस सूचना पत्र के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रसारित की जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त भवन निर्माण स्वीकृति/भू-खण्ड हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो लिखित रूप में मय दस्तावेजी प्रमाणों को संलग्न करते हुए 07 दिन की अवधि में प्रस्तुत कर दें। उक्त अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
पत्रावली एवं दस्तावेजों का निरीक्षण कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के समय देखा जा सकता है।
पड़ौस विवरण :-
पूर्व :- प्लॉट सं. 1-A-14 — पश्चिम:- आम रास्ता 80" फीट
उत्तर :- प्लाट सं. 1-A-10 — दक्षिण:- प्लॉट सं. 1-A-12
अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, गुलाबपुरा

कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)
क्रमांक:तामीरात/413 दिनांक: 25.11.2021
उजरदारी नोटिस

श्री ओमप्रकाश लक्षकार पिता श्री कल्याण मल लक्षकार निवासी गुलाबपुरा वार्ड नम्बर भदादा बाग भू.सं. 54, माप 25X50 महावीर कॉलोनी द्वारा पालिका कार्यालय में भवन निर्माण स्वीकृति हेतु/भूखण्ड हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अत: इस सूचना पत्र के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रसारित की जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त भवन निर्माण स्वीकृति/भू-खण्ड हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो लिखित रूप में मय दस्तावेजी प्रमाणों को संलग्न करते हुए 15 दिन की अवधि में प्रस्तुत कर दें। उक्त अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
पत्रावली एवं दस्तावेजों का निरीक्षण कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के समय देखा जा सकता है।
पड़ौस विवरण :-
पूर्व :- रोड़ 30" फीट स्थित — पश्चिम:- प्लॉट सं. 57 स्थित।
उत्तर :- प्लॉट सं. 55 स्थित — दक्षिण:- प्लॉट सं. 53 स्थित।
अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, गुलाबपुरा

पुष्कर रोड पर एक और बॉटल नैक खत्म

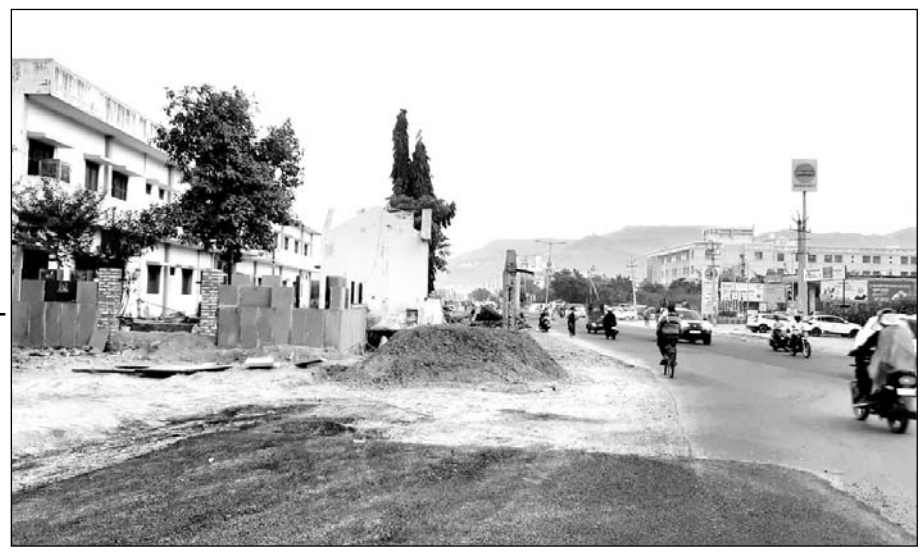
पुष्कर रोड पर रीजनल कॉलेज तिराहे के पास स्थित बॉटल नैक खत्म करने के लिए सड़क बनाई गई।

अजमेर, (कासं)। पुष्कर रोड पर रीजनल कॉलेज तिराहे के पास स्थित बॉटल नैक खत्म होने से राहगीरों को आसानी होगी।

अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त अक्षय गोदारा ने बताया कि रिजनल कॉलेज तिराहे से फॉयसागर चोकी होते हुए शहर में आने के मुख्य मार्ग में एक स्थान पर बॉटल नैक थी। इस कारण यातायात का दबाव तिराहे पर आ रहा था। कई बार दुर्घटना भी हो जाती थी। तिराहे के पास ही आदर्श विद्यालय का भवन स्थित है। इसके परिसर के पास सिवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट तथा लेक फ्रंट विकसित किया गया है। मुख्य सडक की चौडाई धीरे-धीरे समय

- **रीजनल कॉलेज तिराहे पर राह हुई आसान**

के साथ बढ गई। विद्यालय की चार दिवारी के कारण सडक केवल 180 फीट की दूरी पर 7.60 से 8 मीटर ही रह गई थी। इस कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी।

उन्होंने बताया कि एडीए द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थित बॉटल नेक को खत्म करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस कम में रिजनल कॉलेज तिराहे के पास स्थित आर्दश विद्या मंदिर विद्यालय के सामने बॉटल नैक को खत्म करवाने के लिए प्रयास किया गया। विद्यालय प्रशासन तथा प्रबंधकों से इस सम्बन्ध में चर्चा की गई। उन्होंने सकारात्मकता के साथ सहयोग किया। इससे विद्यालय की चार दिवारी को 15 फीट पीछे करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही चार दिवारी को पीछे करने का कार्य आरम्भ हो गया। दीवार के साथ बनी प्याऊ को हटाया गया। विद्यालय ने यह भूमि नि:शुल्क दी है। उन्होंने बताया कि इस बॉटल नैक के खत्म हो जाने से पूरी सडक 12 मीटर से चौडी हो गई। दोनों तरफ बराबर चौडी होने से राहगीरों को आसानी रहेगी। साथ ही पैदल चलने वालों को भी सुगम रास्ता मिलेगा।

केंद्र सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने निकाली आक्रोश रैली

अजमेर, (कासं)। राजस्थान यूथ कांग्रेस की पद यात्रा रैली में शहर जिला यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष सैय्यद यासिर चिशती के नेतृत्व में गुरुवार को कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश पदयात्रा रैली निकाली, जिसमें बडी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।

- **रैली यूथ कांग्रेस कार्यालय से सिविल लाइन फाटक तक निकाली गई**

जिला अध्यक्ष यासिर चिश्ती ने बताया कि राजस्थान यूथ कांग्रेस की पद यात्रा, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश रैली के रूप में हुई। यह रैली यूथ कांग्रेस कार्यालय से सिविल लाइन फाटक तक निकाली गई, जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली में प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गणेश घोघरा और यूथ कांग्रेस के प्रदेश भर के पदाधिकारी सैकडों कार्यकर्ता शामिल हुए

इस अवसर पर सैय्यद यासिर चिश्ती, कशिश बायला, इमरान खान, यतिश सतारवाला, नमन जैन भी मौजूद रहे।

श्री नाथ योगी समाज की बैठक

गुल ाबपुरा, (निसं)। श्री नाथ योगी समाज की बैठक योगी समाज के जिल ा अध्यक्ष एवं उपसभापति भील वाड़ा राम नाथ योगी एवं पालि का उपाध्यक्ष सावर नाथ योगी, नारायण नाथ योगी व दुर्गा नाथ योगी की अध्यक्षता में न्यू आदर्श कॉलोनी गुल ाबपुरा में आयोजित हुई। बैठक में श्री योगी नाथ समाज जिल ा अध्यक्ष राम नाथ योगी सहित सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। जिल ा अध्यक्ष राम नाथ योगी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा की संसार में नाथ पंथ की स्थापना परम श्रद्धेय गुरु गोरक्ष नाथ जी ने की ,तथा संतों की सबसे दुर्ल भ तपस्या में एक हठ योग साधना उन्हीं की देन है। न, एवं धर्म की रक्षा हेतु, अपना सर्वस्य अर्पण किया है। बैठक में नारायण नाथ योगी, दुर्गा नाथ योगी, कैल ाश नाथ योगी, केसर नाथ योगी, सायर नाथ योगी, जगदीश नाथ व श्री नाथ योगी सहित मौजूद थे।

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, डीडवाना (नागौर)
क्रमांक:-3775 दिनांक:-24/11/2021
आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका डीडवाना में निम्न आवेदक द्वारा निम्न भूखण्ड हेतु नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन किया है जिसका विवरण निम्नानुसार है ।

क्र.सं.	प्रार्थीगणों का नाम	क्षेत्रफल	(वर्गगज)	पडौस
1	श्री परमानन्द शर्मा पुत्र श्री बालुराम शर्मा, छापरी गेट के बाहर डीडवाना	488.88 वर्गगज		उत्तर:- आम रास्ता व भंवरलाल माली दक्षिण- सत्यनारायण शर्मा पूर्व-रामनारायण प्रजापत पश्चिम-रास्ता

जिसके संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन की 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को लिखित में आपत्तियां/कारण/विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज कराएं अन्यथा बाद मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी एवं आवेदक के पक्ष में नियमन की कार्यवाही की जाएगी।

अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, डीडवाना

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
आम सूचना

श्रीमती लक्ष्मी बाई पत्नी श्री शंकर ने आवास संख्या 72 (ई.डब्ल्यू.एस.) ज्वाला प्रसाद नगर सेक्टर प्रथम की लीज डीड हेतु आवेदन किया है।

मूल आवंटी श्री चीरंजीत कौर पुत्री श्री हरबंस सिंह ने उक्त आवास अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 03.02.1993 को शंकर दास पुत्र श्री लीलराम को विक्रय कर दिया। शंकरदास पुत्र श्री लीलराम ने उक्त आवास अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 20.11.2021 को श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी श्री शंकर को विक्रय कर दिया।

अत: पश्चातवर्ती क्रेता को हस्तान्तरण पर अंतिम क्रेता के नाम सीधे ही पंजीयन के सम्बन्ध में वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के क्रम में एवम राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं. 3 (1201) नविवि/3/2012 दिनांक 24.03.2021 की अनुपालना में उक्त आवास संख्या 72 (ई.डब्ल्यू.एस.) ज्वाला प्रसाद नगर सेक्टर प्रथम श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी श्री शंकर के नाम लीज डीड जारी किये जाने से किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में मय दस्तावेजों के शपथ पत्र सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। अवधि समाप्ति के पश्चात कोई भी उजर दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं उक्त आवास संख्या 72 (ई.डब्ल्यू.एस.) ज्वाला प्रसाद नगर सेक्टर प्रथम योजना श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी श्री शंकर नाम परिवर्तन कर लीज डीड जारी कर दी जावेगी।

योजना प्रभारी अधिकारी, अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप
आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की थोक तेलियान योजना के आवासीय खसरा संख्या 8637 क्षेत्रफल 118.41 के आवंटी श्रीमती विमला देवी गुप्ता पत्नि श्री जगदीश प्रसाद निवासी अजमेर की मृत्यु दिनांक 20/01/2016 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों कमश: (1) बिन्नी गुप्ता पुत्री जगदीश प्रसाद गुप्ता (2) विकास गुप्ता पुत्र जगदीश प्रसाद गुप्ता (3) महेन्द्र गुप्ता पुत्र जगदीश प्रसाद गुप्ता निवासी समस्त तीनो अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व रामकिशन दास गुप्ता निवासी अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 9/11/2021 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अधिकारी, अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
आम सूचना

जेठानन्द सोनी पुत्र श्री ठाकुर दास ने आवास संख्या 661 (ई.डब्ल्यू.एस.) ज्वाला प्रसाद नगर सेक्टर प्रथम की लीज डीड हेतु आवेदन किया है।

मूल आवंटी श्री पंकज गुप्ता पुत्र श्री आर.एन.गुप्ता ने उक्त आवास अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 26.07.2002 को जेठानन्द सोनी पुत्र श्री ठाकुरदास को विक्रय कर दिया।

अत: पश्चातवर्ती क्रेता को हस्तान्तरण पर अंतिम क्रेता के नाम सीधे ही पंजीयन के सम्बन्ध में वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के क्रम में एवम राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं. 3 (1201) नविवि/3/2012 दिनांक 24.03.2021 की अनुपालना में उक्त आवास संख्या 661 (ई.डब्ल्यू.एस.) ज्वाला प्रसाद नगर सेक्टर प्रथम जेठानन्द सोनी पुत्र श्री ठाकुरदास के नाम लीज डीड जारी किये जाने से किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में मय दस्तावेजों के शपथ पत्र सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। अवधि समाप्ति के पश्चात कोई भी उजर दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं उक्त आवास संख्या 661 (ई.डब्ल्यू.एस.) ज्वाला प्रसाद नगर सेक्टर प्रथम योजना जेठानन्द सोनी पुत्र श्री ठाकुरदास नाम परिवर्तन कर लीज डीड जारी कर दी जावेगी।

योजना प्रभारी अधिकारी, अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
आम सूचना

श्रीमती संतोष पत्नि स्व. श्री श्रवण ने आवास संख्या 301 (ई. डब्ल्यू. एस.) ज्वाला प्रसाद नगर की लीज डीड हेतु आवेदन किया है। मूल आवंटी श्री उल्फत पत्नी श्री सिराजुद्दीन ने उक्त आवास अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 27.01.2005 को श्री भगवान पुत्र श्री किशनचन्द को विक्रय कर दिया। श्री भगवान पुत्र श्री किशनचंद ने उक्त आवास अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 13.02.2007 को श्री श्रवण पुत्र श्री लालाराम को विक्रय कर दिया। श्री श्रवण पुत्र श्री लालाराम ने उक्त आवास अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 04.08.2015 को श्रीमती संतोष पत्नि स्व. श्री श्रवण को विक्रय कर दिया। अत: पश्चातवर्ती क्रेता को हस्तान्तरण पर अंतिम क्रेता के नाम सीधे ही पंजीयन के सम्बन्ध में वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के क्रम में एवम राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3 (1201) नविवि/3/2012 दिनांक 24.03.2021 की अनुपालना में उक्त आवास संख्या 301 (ई.डब्ल्यू.एस.) ज्वाला प्रसाद नगर श्रीमती संतोष पत्नि स्व. श्री श्रवण के नाम लीज डीड जारी किये जाने से किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में मय दस्तावेजों के शपथ पत्र सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। अवधि समाप्ति के पश्चात कोई भी उजर दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं उक्त आवास संख्या 301 (ई.डब्ल्यू.एस.) ज्वाला प्रसाद नगर योजना श्रीमती संतोष पत्नि स्व. श्री श्रवण नाम परिवर्तन कर लीज डीड जारी कर दी जावेगी।

योजना प्रभारी अधिकारी, अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
मूल आवंटी/अन्तरिति द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना
आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की कोटड़ा योजना के आवासीय/व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 523/1, क्षेत्रफल 222.22 वर्गगज के आवंटी/अन्तरिति श्रीमती रूकमणी कुमावत पत्नी स्वर्गीय श्री त्रिलोक चन्द कुमावत निवासी-523/1 विनायक सदन गणपति नगर दयानन्द कॉलोनी रामनगर अजमेर की मृत्यु दिनांक 08.03.2019 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वसीयत (पंजीकृत/अपंजीकृत) दिनांक 23 नवम्बर 2018 संलग्न कर मृतक द्वारा निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण हेतु श्री प्रशान्त कुमावत, जितिन कुमावत एवं विकास कुमावत पुत्रगण स्वर्गीय श्री त्रिलोक चन्द कुमावत निवासी-523/1 विनायक सदन, गणपति नगर, दयानन्द कॉलोनी, रामनगर अजमेर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदक के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अधिकारी, अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय, नगर परिषद किशनगढ, अजमेर
क्रमांक/नपकि/प्रा.अ./कृ.भू.नि./2021/1706 दिनांक : 22.11.21
लोक सूचना

आवेदक मैसर्स राका बिल्डर्स जर्ये साझेदार 1. श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री रिखबचन्द जैन 2. श्री आशीष कुमार जैन पुत्र श्री रिखबचन्द जैन निवासीगण मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
किशनगढ-अजमेर	फरासिया	350/90, 91	कुल किता दो कुल रकबा 0.5498 हैक्टयर यानि क्षेत्रफल 5498.0 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपयुक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझ जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज ..... को जारी की गई है।

प्राधिकृत अधिकारी , आयुक्त नगर परिषद किशनगढ

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय, नगर परिषद किशनगढ, अजमेर
क्रमांक/नपकि/प्रा.अ./कृ.भू.नि./2021/1823 दिनांक : 24.11.21
लोक सूचना

आवेदक मैसर्स केशव मार्बल जर्ये साझेदार 1. श्री सतीश कुमार पुत्र श्री शिवबक्श अग्रवाल निवासी चन्द्रा कॉलोनी, अजमेर रोड, मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
किशनगढ-अजमेर	सांवतसर	366/1	क्षेत्रफल 0.4126 हैक्टेयर यानि 4126.0 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपयुक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझ जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज ..... को जारी की गई है।

प्राधिकृत अधिकारी , आयुक्त नगर परिषद किशनगढ

कार्यालय पंचायत समिति श्रीनगर अजमेर
क्रमांक : पंसश्